पंजीकृत डाक द्वारा

## नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण भवन प्रकोष्ठ

मुख्य प्रशासनिक भवन सेक्टर-6 नोएडा(उ०प्र0)

संख्या नोएडा/बी0सी0/ V- 464/ 6 % दिनांकः 30-3-09

मुख्य कार्यपालक अधिकारी नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश

Completion - Tomer - A

सेवा में

M/s Advant IT Park Pvt.Ltd., Plot No-7, Sector-142, Noida.

प्रिय महोदय,

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि वास्तुविद श्री निशित गुप्ता काउन्सिल आफ आर्कीटेक्वर पंजीकरण संख्या सी0ए0/91/13697 समूह/फर्म के पर्यवेक्षण में भूखण्ड संख्या-7, सेक्टर-142, नोएडा पर पूरे किये गये भवन का निर्माण /पुनर्निर्माण /परिवर्तन/ गिराये जाने के काम का संलग्न मानचित्र के अनुसार प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया है तथा मैं घोषणा करता हूँ कि सम्बन्धित पंजीकृत वास्तुविद के समूह/फर्म द्वारा प्रस्तुत किये गये संरचना मजबूती प्रमाण पत्र तथा समापन प्रमाण पत्र के आधार पर अधिभोग संरचना मजबूती, अग्निसुरक्षा, अन्दर तथा आस पास की स्वच्छता और सफाई सम्बन्धी स्थितियों के सम्बन्ध में यह रहने तथा अधिभोग के योग्य है।

यह अधिभोग पत्र दिनांक 6.3.09 को प्राधिकरण द्वारा किये गये निरीक्षण के आधार पर जारी किया जा रहा है । यदि आवंटी द्वारा भूखण्ड/ भवन में निरीक्षण की तिथि के बाद कुछ परिवर्तन किया/किये जाते हैं अथवा नोएडा विल्डिंग रेगुलेशन तथा डायरेक्शन / भवन नियमावली के विरुद्ध कोई निर्माण किया जाता है तो ऐसे निर्माण के विरुद्ध उ०प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा -10 के अन्तर्गत हटाने की कार्यवाही आपेक्षित होगी । भविष्य में भूखण्ड/ भवन में नोएडा विल्डिंग रेगुलेशन तथा डायरेक्शन/ भवन नियमावली के अनुसार विस्तार का अलग से मानचित्र स्वीकृत कराने तथा उस भाग का आधिभोग पत्र नियमानुसार प्राप्त करना अनिवार्य होगा तथा उसका पूर्ण दायित्व सम्बन्धित आवंटी/भू-स्वामी का होगा । संलग्नः भवन का कम्पलीशन प्लान ।

प्रतिलिपिः महा प्रबन्धक ( ) को सूचनार्थ ।

राजप्रमाएं बा शिक

नौएड:

PARK

ANNEXURG- 4A

पत्रावली संख्या V - 464

पंजीकृत डाक द्वारा

## नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

भवन प्रकोच्ठ

मुख्य प्रशासनिक भवन सेक्टर-६ नौएडा(उ०प्र०)

संख्याः-नौएडा/मु0वा0नि0/2014/ V - 464/ 🔏 🖰

दिनांक:

04/2/14

मुख्य कार्यपालक अधिकारी नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश

Completion - Tower B

सेवा में,

M/s Advant IT Park Pvt. Ltd., Plot No. 7, Sector – 142, Noida.

प्रिय महोदय,

मैं एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि वास्तुविद श्री धर्मेन्द्र काउन्सिल ऑफ आर्किटेक्चर पंजीकरण संख्या सीए/2001/27400 समूह/फर्म के पर्यवेक्षण में संस्थागत भूखण्ड संख्या 07, Sector – 142, नौएडा पर पूरे किये गये भवन का निर्माण /पुनर्निर्माण/परिवर्तन /गिराये जाने के काम का संलग्न मानचित्र के अनुसार प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा परीक्षण किया गया है तथा मै घोषणा करता हूँ कि सम्बन्धित पंजीकृत वास्तुविद के समूह / फर्म द्वारा प्रस्तुत किये गये संरचना मजबूती प्रमाण पत्र तथा समापन प्रमाण पत्र के आधार पर अधिभोग संरचना मजबूती, अग्निसुरक्षा, अन्दर तथा आस-पास की स्वच्छता और सफाई सम्बन्धी स्थितियों के सम्बन्ध में यह रहने तथा अधिभोग के योग्य है ।

यह अधिभोग पत्र दिनांक 08-11-2013 को प्राधिकरण द्वारा किये गये परीक्षण के आधार पर जारी किया जा रहा है। यदि आवंटी द्वारा भूखण्ड / भवन में निरीक्षण की तिथि के बाद कुछ परिवर्तन किया/किये जाते हैं अथवा नौएडा बिल्डिंग रेगुलेशन तथा डायरेक्शन /भवन विनियमावली के विरुद्ध कोई निर्माण किया जाता है तो ऐसे निर्माण के विरुद्ध उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा -10 के अन्तर्गत हटाने की कार्यवाही आपेक्षित होगी। भविष्य में भूखण्ड / भवन में नौएडा बिल्डिंग रेगुलेशन तथा डायरेक्शन / भवन नियमावली के अनुसार विस्तार का अलग सं मानचित्र स्वीकृत कराने तथा उस भाग का अधिमोग पत्र नियमानुसार प्राप्त करना अनिवार्य होगा तथा उसका पूर्ण दायित्व सम्बन्धित आवंटी /भू-स्वामी का होगा।

संलग्नक-भवन के समापन मानचित्र । प्रतिलिपिः महा प्रबन्धक (संस्थागत) को सूचनार्थ ।

भवदीय

Complection Drawing is as per Bye Laws submitted for approvel Please.

P Acade

8/2

Architect

नाम W MW पद सम्बद्धाः पद सम्बद्धाः प्राप्त सम्बद्धाः प्राप्त सम्बद्धाः प्राप्त सम्बद्धाः सम्बद्धाः सम्बद्धाः सम



## New Okhla Industrial Development Authority

Main Administrator Office, Sector-VI NOIDA-201301

Provisional
Regd. No.- 402
No. NOIDA/Instt./06/ 526
Dated 17-2-6

## INSTITUTIONAL DEPTT.

To.

M/s Advant IT Park Pvt. Ltd., B-10, Sector 1, NOIDA (U.P.)

Sub: Reservation Cum-Allotment Letter

Sir.

This Authority is pleased to reserve and allot the plot measuring 24000 Sqm. for Software IT unit/ I.T.E.S on lease hold basis for 90 years.

(A)	Plot no.	7, Sector-142.	
(B)	Total Area of Plot	24000 Sq. Mtrs.	
(C)	Allotment Rate of Land	3700/- Per Sq. Mtr. + 4 % Location	
		Charges	
	₹ :-	i. e. Rs. 3848 /- Per Sq. Mtr.	
<b>(D)</b> :	Total Premium of the Plot	Rs.	9,23,52,000.00
(E)	Registration Money Deposited	Rs.	89,85,340.00
(F)	One Year Advance Lease Rent	Rs.	23,08,800.00
(G)	Balance Allotment Money + one year .:	Rs.	2,10,29,060.00
	Lease rent to be deposited within 30 days	10	et e
	from issue of this letter in Vijaya Bank		
	HDFC Bank NOIDA (20 % of		
	Total premium) -	<u>:</u>	
	,		

- 1. Balance 70 % amount with interest @ 11 % per annum will be payable in 10 half yearly Rs. 6,46,46,400.00 installments.
- 2. In case of default on the part of the allottee for n deposit of allotment Money, the allotment will be cancelled. Defaults in the payment of installments shall bear @ 14 % interest on late payments till time the allotment is not cancelled due to default as per terms of allotment. The non-execution of the legal documents and/not taking over possession of the plot or delay in payment of lease rent, the allotment of the plot is liable to be cancelled.
- No change in project can be made without the prior written permission of the Authority.

Jan.

- In case of any clarification about the allotment letter, you may meet the concerned officer in the office on any working day.
- In case of any problem in implementation of the project with any State Govt. Deptt or/and co-ordination is required is required please contact the Authority on any working day.
- 6. Allottee will obtain all necessary permissions and clearance etc. from the requisite Department / Agency as if necessary according to Law, Rules and Regulations in torce. This shall also apply in case of relevant amenities / facilities that allottee may need for their project. However in case of any problem the allottee may approach this Authority, which will provide all feasible and available assistance to the allottee assistance to the allottee in procurement of the subject amenities / facilities.
- 7. The allottee shall ensure full compliance with the conditions imposed in the No Objection Certificate issued by the U. P. pollution Control Board and will work according to the pollution control laws in force.
- 8. The allottee will comply with all the terms & conditions pertaining to the supply of water and drainage / sewerage facilities when provided by the Authority
- The plot is allotted on as where is basis.
- The terms & conditions laid down for Software IT & ITES and the lease deed will be binding.
- 11. Permission to Rent out / transier sill be granted after the declared functional.
- 12. Allottee shall have to make sufficient provision of parking in the plot itself.

  The other term & conditions of allotment shall remain the same as specified in the prochure of the scheme.

Desk Officer

Copy to :-

- 1 CAP
- AO (institutional)
- 3 Project Engineer

PARK PLA NOIDA Z NOIDA NOIDA Dusk Officer